

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

17/7/15

पशावनी पेशा हुई। वकील वादी डक। कल्याण  
काफी लम्बे भाँसे से तालकी उत्प्रेषण के लिये  
रहा है। परन्तु वकील वादी द्वारा आज भी तालकी  
हेतु तालवाना पेशा नहीं किया है। अतः दावा  
वादी वरम तालकी 017R3 के तहत खाति  
किया जाता है। पशावनी फ़ैमल सुफार होकर  
नाम्बर से कम होकर दायिम दफ्तार हो। अफेस  
सुनाया गया।

2/11  
उपखण्ड अधिकारी  
करोली (राज०)

